

प्रेषक,

आरके0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-8

संलग्नक दिनांक: 08 जनवरी, 2008

विषय- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-मू0वि0वि0/संख0/01.30(एक)/2007/2214, दिनांक 31.10.2007 के
संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973
(यथासंशोधित 30प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अर्धीन श्री राज्यपाल
श्री कमलनाथ सिंह महाविद्यालय, बरोही, फतेहपुर, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत
हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, गृह विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में स्वतंत्रपेक्षित
योजनात्मक निम्नलिखित शर्तों के अर्धीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की शर्त स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. संस्था शासनादेश सं0-2851/संतर-2-2003-18(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में
उल्लिखित विद्या-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित
नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रावधानों के
अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की
जाएगी।

भवदीय,

(आरके0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-4479(1)/संतर-6-2007, तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्धक, श्री कमलनाथ सिंह महाविद्यालय, बरोही, फतेहपुर, आजमगढ़।
4. निजी सचिव, भा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. मार्ट फाइल।

आज्ञा से,

(आरके0मिश्र)
अनु सचिव।

प्रबन्धक

श्री कमलनाथ सिंह महाविद्यालय
बरोही फतेहपुर-आजमगढ़

प्रबन्धक

श्री कमलनाथ सिंह महाविद्यालय
बरोही फतेहपुर-आजमगढ़